भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1285

जिसका उत्तर 25 नवम्बर, 2019/4 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया गया

बैंकों की गैर-निष्पादन आस्तियों को बट्टे खाते डालना

1285. श्री दीपक बैजः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान बट्टे खाते में डाले गए विभिन्न बैंकों की गैर-निष्पादन आस्तियों (एन॰पी॰ए॰) की राशि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अर्थव्यवस्था पर उक्त कार्य के कु-प्रभावों का मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त बट्टे खाते डालने के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में मंदी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में किसानों और व्यापारियों द्वारा लिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): वैश्विक परिचालन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का कुल सकल अग्रिम दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 25,03,431 करोड़ रुपए से बढ़कर दिनांक 31.03.2014 को 68,75,748 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में अनुमानित हानियों, जिनके लिए पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत पूर्व में प्रावधान नहीं किए गए थे, के लिए प्रावधान किए गए। इसके अलावा, दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया था। मुख्यतया दबावग्रस्त आस्तियों की एनपीए के रूप में पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, वैश्विक परिचालनों पर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, एससीबी का सकल एनपीए अनुपात दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार, 3,23,464 करोड़ रु. से बढ़कर दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार 10,36,187 करोड़ रु. हो गया। एनपीए की पारदर्शी पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की सरकार की 4आर कार्यनीति के परिणामस्वरूप दिनांक 30.6.2019 को अब 97,996 करोड़ रु. घटकर 9,38,191 करोड़ रुपए हो गया है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुप्रयोज्य ऋणों सहित उन ऋणों, जिनका चार वर्ष पूरा होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है, को बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है। बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों और अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर लाभ और पूंजी को इष्टतम बनाने के लिए अपनी नियमित प्रक्रिया के रूप में अनुप्रयोज्य आस्तियों को स्वयं बट्टे खाते डालते हैं। चूंकि बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ता पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बने रहते हैं और बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों में उधारकर्ता से देयराशियों की वसूली की प्रक्रिया चलती रहती है, बट्टे खाते डाले जाने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है। विगत पांच वित्तीय वर्ष के लिए एससीबी द्वारा बट्टे खाते डाले गए एनपीए का बैंक-वार विवरण **अनुबंध-1** पर है।

पिछले पांच वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद 7.5% की औसत वार्षिक विकास दर से बढ़ा है जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6.8% की विकास दर थी (अनंतिम अनुमान) जो कि पिछले पांच वर्ष के दौरान एससीबी के सकल अग्रिमों की औसत 9.3% वृद्धि और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 13.3% की वृद्धि के कारण संभव हुआ। इस संबंध में विवरण **अनुबंध-2** में है।

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अपने वैश्विक परिचालनों में एससीबी द्वारा बट्टे खाते डाले गए उन ऋणों का विवरण जो कि "कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों" तथा "सेवाएं-व्यापार (ट्रेड)" से संबंधित थे, का विवरण **अनुबंध-3** में है।

*****

अनुबंध- 1

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले जाने के कारण एनपीए में कटौती

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 207-18	वित्तीय वर्ष 2018-19
एबी बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	9
अबू धाबी कमर्शियल बैंक पीजेएससी	-	-	-	-	22
इलाहाबाद बैंक	2,105	2,097	2,374	3,578	3,931
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प.	47	82	106	101	166
आंध्रा बैंक	1,124	814	1,623	1,666	2,280
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड				10	20
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड	19	-	-	-	-
एक्सिस बैंक लिमिटेड	1,210	3,012	1,710	8,120	7,164
बंधन बैंक लिमिटेड		-	31	51	277
बैंक ऑफ अमेरिका, नेशनल एसोसिएशन	13	-	-	11	-
बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत बी.एस.सी.	18	37	5	58	0
बैंक ऑफ बड़ौदा	1,014	1,426	4,281	4,614	11,725
बैंक ऑफ सिलोन	-	-	0	-	0
बैंक ऑफ इंडिया	802	2,244	7,265	8,957	5,601
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	264	903	1,374	2,460	5,127
बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	-	30	101	160	26
बार्कलेज बैंक पीएलसी	143	120	173	4	-
केनरा बैंक	1,458	3,271	5,528	8,299	13,849
कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	111	142	139	9	301
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,386	1,334	2,396	2,924	10,375
सिटी बैंक एन.ए.	971	359	365	460	505
सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	148	125	163	195	264
कोपोरेटिव रबोबैंक यू.ए.	-	-	-	206	80
कॉर्पोरेशन बैंक	779	2,495	3,574	8,228	5,989
क्रेडिट एग्रीकोल कॉर्पोरेट एवं इंवेस्टमेंट बैंक	-	-	263	72	251
सीटीबीसी बैंक कंपनी लिमिटेड	-	4	-	60	-
डीबीएस बैंक लिमिटेड	867	135	945	144	17
डीसीबी बैंक लिमिटेड	47	60	44	32	67
देना बैंक	515	760	833	661	4,672
ड्यूश बैंक एजी	81	15	16	30	169
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड			27	179	61
फेडरल बैंक लि.	233	452	236	212	186
फर्स्ट्रेंड बैंक लिमिटेड	34	-	42	14	-
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1,840	1,854	2,323	3,266	4,513
हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पन. लिमिटेड	143	87	139	66	359
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	1,524	2,635	10,993	5,840	5,464
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	1,609	5,459	2,868	10,990	14,166
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड		-	1,371	998	1,272
इंडियन बैंक	550	926	27	1,541	2,872
इंडियन ओवरसीज बैंक	2,083	2,067	1,902	5,449	6,751

वैश्विक परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) बैंकों का अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 25,03,431 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 68,75,748 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार,दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। वर्ष 2015 में आरम्भ एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा इनके लिए प्रावधान किए गए। पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की सरकार की 4आर कार्यनीति के परिणामस्वरूप अब दिनांक 30.6.2019 को 97,996 करोड़ रुपए घटकर 9,38,191 करोड़ रुपए हो गया है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ,अनुप्रयोज्य ऋणों सहित उन ऋणों, जिनके चार वर्ष पूरा होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है, को बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है। बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों और अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर लाभ और पूंजी को इष्टतम बनाने के लिए अपनी नियमित प्रक्रिया के रूप में अनुप्रयोज्य आस्तियों को स्वयं बट्टे खाते डालते हैं। चूंकि बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ताओं पर पुनर्भुगतान का दायित्व बना रहता है और बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों में उधारकर्ता से देयराशियों की वसूली की प्रक्रिया चलती रहती है, बट्टे खाते डाले जाने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है।

इंडसइंड बैंक लि.	602	281	466	783	1,923	वैश्विक परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) बैंकों का अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 25,03,431 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 68,75,748 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार,दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। वर्ष 2015 में आरम्भ एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा इनके लिए प्रावधान किए गए। पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की सरकार की 4आर कार्यनीति के परिणामस्वरूप अब दिनांक 30.6.2019 को 97,996 करोड़ रुपए घटकर 9,38,191 करोड़ रुपए हो गया है। आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ,अनुप्रयोज्य ऋणों सहित उन ऋणों, जिनके चार वर्ष पूरा होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है, को बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है। बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों और अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर लाभ और पूंजी को इष्टतम बनाने के लिए अपनी नियमित प्रक्रिया के रूप में अनुप्रयोज्य आस्तियों को स्वयं बट्टे खाते डालते हैं। चूंकि बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ताओं पर पुनर्भुगतान का दायित्व बना रहता है और बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों में उधारकर्ता से देयराशियों की वसूली की प्रक्रिया चलती रहती है, बट्टे खाते डाले जाने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है।
आईएनजी वैश्य बैंक लि.	393					
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	25	12	76	1,564	923	
जेपी मार्गेन चेस बैंक नेशनल एसोसिएशन	5	-	65	-	-	
कर्नाटक बैंक लि।	219	305	458	712	808	
करूर वैश्य बैंक लि.	151	943	264	362	447	
केबीसी बैंक एनवी	38	-				
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	99	289	422	407	220	
लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	15	160	92	272	261	
एमयूएफजे बैंक लिमिटेड	-	-	98	-	-	
नैनीताल बैंक लि।	0	0	1	13	1	
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	925	1,668	2,308	6,357	6,457	
पंजाब एंड सिंध बैंक	263	335	491	460	1,635	
पंजाब नैशनल बैंक	5,920	6,456	9,156	7,407	11,238	
आरबीएल बैंक लिमिटेड	5	73	69	159	320	
एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड	44	17	13	57	-	
शिनहान बैंक	-	6	-	-	-	
साउथ इंडियन बैंक लि.	43	321	609	629	287	
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	185	201	2,813	604	2,309	
भारतीय स्टेट बैंक	20,766	15,659	19,611	38,895	56,481	
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	363	643	1,560	भारतीय स्टेट बैंक में विलय		
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	355	1,204	1,430			
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	740	588	161			
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	755	1,156	3,528			
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	456	398	556			
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड				43	34	
सिंडीकेट बैंक	1,055	1,428	1,271	2,400	6,497	
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	55	99	244	594	264	
धनलक्ष्मी बैंक लि.	180	112	189	2	3	
रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पीएलसी	34	61	-	49	115	
यूको बैंक	-	1,572	1,929	2,721	3,740	
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड				176	178	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	820	785	1,219	3,261	6,362	
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	761	649	714	1,867	5,365	
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड				-	30	
विजया बैंक	791	510	1,068	1,539	1,518	
यस बैंक लि.	53	258	142	709	469	

स्रोत: आरबीआई

*****

अनुबंध-2

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के विकास तथा वैश्विक परिचालनों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल अग्रिमों में वृद्धि

वित्तीय वर्ष	**सकल अग्रिमों में वृद्धि (वर्षानुवर्ष)**	**जीडीपी वृद्धि**
2014-15	9.7%	7.4%
2015-16	8.7%	8.0% *
2016-17	4.5%	8.2% #
2017-18	10.5%	7.2% @
2018-19	13.3%	6.8% $

स्रोत:आरबीआई (एससीबी के सकल अग्रिमों में वृद्धि) और सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (जीडीपी)

*तीसरे संशोधित अनुमान
#दूसरे संशोधित अनुमान
@पहले संशोधित अनुमान
$ अनंतिम अनुमान

*****

अनुबंध-3

बट्टे खाते डाले गए उन ऋणों का विवरण जो कि "कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों" तथा "सेवाएं-व्यापार (ट्रेड)" से संबंधित थे

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	कृषि और समब्द्ध गतिविधियां	व्यापार– सेवाएं(ट्रेड)	
2014-15	3,420	20,891	वैश्विक परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) बैंकों का अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 25,03,431 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 68,75,748 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार,दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। वर्ष 2015 में आरम्भ एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा इनके लिए प्रावधान किए गए। पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की सरकार की 4आर कार्यनीति के परिणामस्वरूप अब दिनांक 30.6.2019 को 97,996 करोड़ रुपए घटकर 9,38,191 करोड़ रुपए हो गया है। आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ,अनुप्रयोज्य ऋणों सहित उन ऋणों, जिनके चार वर्ष पूरा होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है, को बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है। बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों और अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर लाभ और पूंजी को इष्टतम बनाने के लिए अपनी नियमित प्रक्रिया के रूप में अनुप्रयोज्य आस्तियों को स्वयं बट्टे खाते डालते हैं। चूंकि बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ताओं पर पुनर्भुगतान का दायित्व बना रहता है और बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों में उधारकर्ता से देयराशियों की वसूली की प्रक्रिया चलती रहती है, बट्टे खाते डाले जाने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है।
2015-16	6,845	30,463	
2016-17	7,548	33,300	
2017-18	11,502	41,540	
2018-19	13,744	40,175	

स्रोत: आरबीआई

*****